बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना रोड कटिंग विनियम, 2019

नं .... पटना, दिनांक.................... । 2019 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 297 और धारा 421 के निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार के (समय समय पर संशोधित) राज्यपाल रोड कटिंग पर कर के समबन्ध में निम्नलिखित विनियम बनाते है, जो कि इसके पहले कथित अधिनियम की धारा 421 के द्वारा आवश्यक रूप में प्रकाशित किया गया है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

क. यह विनियमावली "पटना रोड कटिंग विनियम, 2019" कही जा सकेगी।

ख. इसका विस्तार पटना नगर निगम की नगरपालिका सीमाओं के अंतर्गत सैनिक छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण पटना नगर निगम की नगरपालिका सीमाओं में होगा।

ग. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. पृष्ठभूमि

क. सड़क का रखरखाव एक विस्तृत गतिविधि है और इसमें नियमित निर्धारित अंतरालों पर सभी संरचनाओं का निरीक्षण करने सहित आवश्यक बुनियादी अभिलेखों का रखरखाव, संरचनाओं और उपकरणों और संयंत्रों का रखरखाव शामिल है। निगमों और नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी निगम अथवा नगर पालिका से संबंधित है। इनमें वह सड़क अपवाद होंगे जिनके लिए राज्य अथवा केंद्र सरकार ने पी. डब्ल्यू. डी को निर्धारित किया है| । हालांकि सड़कों का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता के साथ किया जाता है, तब भी समय के साथ सड़क पर वाहनों के आवागमन में वृद्धि, जलवायु प्रभाव और अन्य कारणों से अपक्षरण के लक्षण दिखाई देते है।

ख. अधिकांश सड़कों पर यातायात अपनी क्षमता से अधिक हो गया है, और आधुनिक वाहनों की जरूरतों को पूरा नहीं करते है। इससे सड़कों की स्थिति खराब हो गई है, जिससे ईंधन की खपत, वाहनों को नुकसान, दुर्घटना तथा यात्रा के समय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है।

ग. प्रत्येक वर्ष पटना नगर निगम मौजूदा सड़कों के रखरखाव एवं नयी सड़कों के निर्माण पर भारी राशि खर्च करता है, अतः किसी भी संगठन द्वारा कोई भी गतिविधि जिसमे रोड कटिंग की जाती है, पीएमसी के रोड से संबंधित संचालन और रखरखाव की लागत को बढ़ाती है। यह रोड कटिंग विनियम के महत्व को रेखांकित करता है।

3. **परिभाषाएं-** जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों , इस नियमावली में-:

क. 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007।

ख. "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

ग. अधिनियम में परिभाषित तथा इस नियमावली में प्रयुक्त सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

घ. " सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत कार्यकारी अधिकारी है।

ङ. "नगरपालिका" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(Q) के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 के तहत स्थानीय स्वशासन की संस्था का गठन किया गया है और इसमें नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत शामिल है, जिसकी बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 13 में उल्लेख किया गया है ।

च. “सड़क” से अभिप्रेत है वह खंड (किसी भी संपत्ति धारक की संपत्ति की सीमा के भीतर किसी भी सड़क को छोड़कर) जहां कटिंग एवं पुनःस्थापन किया जाना है ।

छ. "आवेदक" से अभिप्रेत है विभाग/संगठन या व्यक्ति जो परमिट के लिए आवेदन करता है ।

ज. "परमिटी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति/विभाग/संगठन जिसके नाम पर परमिट जारी किया जाता है ।

4. **अनुमति जारी करने का प्राधिकार:** कोई भी आवेदक जिसे रोड कटिंग के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इन विनियमों में उल्लिखित निर्धारित शुल्क सहित भरे फार्म-ए को रोड कटिंग से कम से कम तीस दिन पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करेंगे। सक्षम प्राधिकारी फार्म-बी में अनुमोदन या फार्म-सी में आवेदन की अस्वीकृति 20 कार्य दिवसों के भीतर करेंगे ।

5. रोड कटिंग के लिए आवेदन-

कोई भी आवेदक जो रोड कटिंग का कार्य करना चाहता है, वह ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ फार्म-ए में पटना नगर निगम को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करेगा:

क. पैमाने पर खींचे जाने वाले उचित संरेखण मानचित्र और खंदकों के खंड जिन्हें खोदा जाना है, कटिंग की लंबाई, सड़क क्रासिंग और मैनहोल जैसे चिनाई वाली संरचनाएं आदि स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं।

ख. कार्य के निष्पादन की विधा और समयावधि ।

ग. यदि ऑपरेटर दिन के विशिष्ट समय के दौरान परियोजना का निष्पादन करते हैं, तो उसका विवरण।

घ. ऑपरेटर द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के फलस्वरूप ऐसे सक्षम प्राधिकृति के खर्चों का ब्यौरा।

ङ. जनता को होने वाली असुविधा और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट उपाय ।

च. कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट उपाय ।

छ. कोई अन्य विषय जो प्रस्तावित कार्य से जुड़ा हो अथवा संबंधित हो ।

ज. केंद्रीय सरकार या उपयुक्त राज्य सरकार या उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से, निर्दिष्ट किए गए कार्य से संबंधित या उससे संबध कोई अन्य मामला ।

झ. रोड कटिंग की वजह से किसी हानि या उपक्षति की देखभाल के लिए क्षतिपूर्ति बाण्ड जिसमें एक घोषणा हो कि आवेदक आग या बिजली सुरक्षा हेतु विशेष सावधानी बरतेंगे तथा किसी भी मुआवजा और हानि भुगतान के लिए वह एकल रूप से जिम्मेदार होंगे तथा साथ साथ किसी फौजदारी या दीवानी मामले के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

ञ. यदि रोड कटिंग कार्य किसी हवाई अड्डे के निकट प्रस्तावित हो तथा हवाई अड्डा प्राधिकरण के नवीनतम परिपत्र को प्रभावित करता हो तो प्राधिकरण से अनुमति ली जायेगी तथा आवेदन के साथ अनुमति जमा करेंगे।

ट. ऐसे किसी भी अन्य स्थानीय उपयोगिताओं/सार्वजनिक संसथान, जो सड़क काटने की गतिविधियों से प्रभावित होंगे से आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति फार्म ए के साथ संलग्न होनी चाहिए।

6. परमिट की वैधता

क. परमिट जारी होने की तारीख से फॉर्म-ए में उल्लेखित दिनों की संख्या के लिए वैध होगा, हालांकि किसी भी खंदक को 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए बिना भरे नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

7. परमिटी द्वारा अनुपालन

क. सभी आवश्यक यातायात चेतावनी उपकरणों और संकेत, ध्वजवाहक, लाइट्स, बैरिकेड्स, आदि परमिटी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ख. सभी अन्य उपयोगिताओं की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए परमिटी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा । इसमें ओवरहेड वायर, भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन, एवं खंभे शामिल हैं, चाहे वे खुली खंदक के अंदर हों या बाहर।

ग. खंदक के खुदाई के दौरान सड़कों, पुलियों, पुलों, पुश्तों की दीवारों और नालियों पर मौजूदा संरचनाओं और इमारतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए । परमिटी सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतेंगे एवं निर्माण से होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे । यदि कार्य के निष्पादन के दौरान किसी सेवा में कोई क्षति होती है, तो परमिटी क्षति के संबंध में पटना नगर निगम को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा और पूरे पुनः स्थापन प्रभार को वहन करेगा। परमिटी इसे पटना नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट समय में अपने खर्च पर बहाल करेगा और संबंधित वर्ष के प्रभार के 25% के बराबर मुआवजे का भुगतान करेगा।

घ. परमिटी सभी विविध खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा । किसी भी कारण से, इस परमिट से संबंधित किसी भी मुकदमेबाजी से संबंधित किसी भी लागत, ओपनिंग परमिट की शर्तों में से किसी भी लागत इत्यादि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

ङ. यदि खुदाई के दौरान किसी भी अन्य विभाग के जनोपयोगी सेवा जैसे के सीवर, पानी, बिजली, आदि के संसाधन प्रभावित होते होंगे तो उपयुक्त विभाग को बैकफिल्लिंग से पहले एक निरीक्षण के अवसर के लिए अधिसूचित किया जाएगा ।

च. आपातकालीन सेवा को छोड़कर 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मानसून की अवधि के दौरान सड़क कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. फीस

क. आवेदन जमा करने के समय प्रति आवेदन रु० 1000/- प्रति किलोमीटर प्रति आवेदन की दर से प्रशासनिक शुल्क जमा की जाएगी।

ख. रोड कटिंग शुल्क निम्नानुसार होगा:

क्र.	**सड़क का प्रकार**	**शुल्क**
1	बिटुमिनस सड़कें	रु०2500/- प्रति मीटर (रूट मीटर)
2	कंक्रीट सड़कें	रु०2000/- प्रति मीटर (रूट मीटर)
3	फुटपाथ	रु०1000/- प्रति मीटर (रूट मीटर)
4	बर्म/ डब्ल्यू .बी. एम्	रु०400/- प्रति मीटर (रूट मीटर)
.5	अन्य रोड	रु०250/- प्रति मीटर (रूट मीटर)

ग. रोड कटिंग के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद रोड कटिंग शुल्क उक्त निर्धारित दर पर जमा किया जाएगा । यदि अनुमोदन के दिनों के भीतर 7 रोड कटिंग शुल्क जमा नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज अर्जित और देय होगा।

घ. प्रशासनिक शुल्क, रोड कटिंग शुल्क के भुगतान एवं नगर पालिका की अनुमति के बिना कोई सड़क काटने की गतिविधि नहीं की जाएगी और ऐसी सभी गतिविधियों को अवैध माना जाएगा।

ङ. यदि कोई परमिटी बिना अनुमति के कार्य निष्पादित करता है, तो परमिटी के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी: -

1. परमिटी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार रोक दिया जाएगा:-
   - i. पहली बार दोषी पाए जाने पर- 3 महीने
   - ii. पहली गलती की घटना के 1 वर्ष के भीतर दूसरी बार दोषी पाए जाने पर- 6 महीने

iii. पहली गलती की घटना के 2 वर्ष के भीतर तीसरी बार दोषी पाए जाने पर- 12 महीने

2. परमिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
3. बिना अनुमति के कार्य करने पर उपरोक्त कार्यवाही के साथ साथ दोगुनी रेट पर रोड कटिंग शुल्क लिया जाएगा एवं क्षति के विरुद्ध आरोप जारी किए गए मांग पत्र की तारीख से दो सप्ताह के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

च. रोड कटिंग शुल्क में हर साल 10% की वृद्धि की जाएगी।

9. रोड कटिंग के अनुमोदन के लिए समयरेखा

क्र.	गतिविधि	क्रिया-धारक	समयरेखा
1.	आवेदक ऑनलाइन पोर्टल में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे और भुगतान गेटवे के माध्यम से प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करेंगे	आवेदक	टी
2.	सक्षम प्राधिकारी आवेदन और दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे तथा यदि आवेदन और सभी दस्तावेज उम्मीद के अनुसार हैं तो अनुमोदन प्रदान करेंगे	सक्षम प्राधिकारी	टी + 10
3.	फार्म बी में स्वीकृति पत्र (एलओए) या फार्म-सी में आवेदन की अस्वीकृति जारी की जाएगी	सक्षम प्राधिकारी	टी + 20
4.	आवेदक भुगतान गेटवे के माध्यम से निर्धारित रोडकटिंग शुल्क जमा करेंगे	आवेदक	टी + 27
5.	करार या लाइसेंस जारी की जाएगी	सक्षम प्राधिकारी	टी + 30

10. जुर्माना-

क. यदि कोई परमिटी इन विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो उसे प्रति घटना रु० 5000/- तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है और उसकी मशीनरी, उपस्कर, सामग्री आदि जब्त की जा सकती है एवं कार्य को बंद करने का आदेश जारी किया जा सकता है।

ख. सक्षम प्राधिकारी जुर्माना, सीलिंग, जब्ती या निष्कासन के किसी आदेश को पारित करने से पहले परमिटी को इस आशय का एक नोटिस देंगे और परमिटी को 7 दिन की अवधि के लिए सुनवाई करने का उचित अवसर प्रदान करेंगे अथवा विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

ग. परमिटी की सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी जुर्माना, सीलिंग, जब्ती और हटाने के संबंध में आवश्यक आदेश पारित करेंगे ।

घ. परमिटी द्वारा मशीनरी, उपस्कर, सामग्री आदि न हटाए जाने की स्थिति में नगरपालिका के द्वारा मशीनरी, उपस्कर, सामग्री आदि हटाया जाएगा और परमिटी से ऐसी निकासी की लागत वसूल की जाएगी।

ङ. इसके तहत लगाया गया जुर्माना, "संपत्ति कर" के बकाया के रूप में माना जाएगा और बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के तहत नगर पालिका द्वारा इस संबंध में किए गए विनियमन के तहत वसूली के अधीन होगा।

11. अपील- सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के समक्ष होगी।

<u>परिशिष्ट</u>

फार्म-ए

पटना में रोड कटिंग परमिट के लिए आवेदन

सन्दर्भ नं..................................... दिनांक......................................

प्रति

____

____

____

क	परमिटी का विस्तृत विवरणी		
1	परमिटी का नाम		
2	पत्राचार के लिए पता	प्लॉट/	
		सड़क/	
		गांव	
		शहर/	
		जिला	
		पिन	
		फ़ोन नंबर	
3	आवेदक का नाम	नाम	
		पद	
		मोबाइल नंबर	
		ईमेल	

ख	प्रस्तावित मार्ग का स्थान				
	रूट परमिट	से		को	
	किमी में रूट लंबाई				
	स्वामित्व के तहत भूमि				
	ग्रामीण प्राधिकरण		नगरीय प्राधिकरण		
	वानिकी		एन.एच.ए.आई		
	पीडब्ल्यूडी		आर.डी		
	केंद्रीय प्राधिकार		निजी		
	पीएसयू		राजस्व		
	अन्य				

ग	शुल्क	
	रोड कटिंग शुल्क	
	मांग ड्राफ्ट/चालान संख्या	
	पक्ष में	
	दिनांक	
	ड्राइंग बैंक	
	देय	

घ	आवश्यक दस्तावेज़	संलग्न (Y/N)
1.	विस्तृत नक्शे संरेखित नक्शे पैमाने पर और खंदकों के खंड में कटिंग करने के लिए खींचे गए, कटिंग की लंबाई, सड़क क्रॉसिंग और मैनहोल जैसे चिनाई वाली संरचनाएं आदि स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं	
2.	परियोजना के निष्पादन की विस्तृत जानकारी	
3.	जनता की असुविधा को कम करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय	
4.	क्षतिपूर्ति बांड और घोषणा	
5.	अन्य	

प्रमाणित किया गया है कि सभी जानकारी/ऊपर प्रस्तुत दस्तावेज प्रामाणिक और मेरी जानकारी में सही हैं ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
पद	
संगठन की मुहर के साथ हस्ताक्षर	
ईमेल	
टेलीफ़ोन नं	
मोबाइल नं	
दिनांक	

<u>फॉर्म-बी</u>

पटना रोड कटिंग अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रपत्र

[पटना रोड कटिंग विनियम, 2019 से संबंधित प्रमाण पत्र]

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(प्राधिकृत अधिकारी का नाम)

(स्थानीय निकाय का नाम/

<u>फॉर्म-सी</u>

पटना रोड कटिंग अस्वीकृति प्रपत्र

[पटना रोड कटिंग विनियम, 2019 से संबंधित प्रमाण पत्र]

आवेदन नं : ....

आवेदन प्राप्त दिनांक : ....

संपत्ति स्वामी का नाम/अधिभोगी : ....

वार्ड नंबर : ....

पता :..

मोबाईल नं : ....

आवेदन सं..दिनांक .... आपकी .... जारी करने की अर्जी को निम्नलिखित कारण से अस्वीकृत किया गया है:-

1. ....
2. ....
3. ....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(प्राधिकृत अधिकारी का नाम)

(स्थानीय निकाय का नाम)